न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 79/2018

1 ग्यारसीलाल पुत्र हरनाथराम।
2 कानाराम पुत्र हरनाथराम।
3 प्रभाती देवी पत्नी दाताराम।
4 कजोड़मल पुत्र दाताराम।
5 पाबूदान पुत्र दाताराम।
6 मोहरसिंह पुत्र दाताराम।
7 छगनलाल पुत्र दाताराम।
8 चमेली देवी पुत्री दाताराम।
9 शंकर पुत्र छोटूराम।
10 गोकुलचन्द पुत्र छोटूराम।
11 सोहनलाल पुत्र छोटूराम।
12 मूलचन्द पुत्र बिड़दूराम।
13 पोखर पुत्र बिड़दूराम।
14 बंशीधर पुत्र बिड़दूराम।
15 हनुमान पुत्र बिड़दूराम।
16 बिदामी पत्नी प्रभुदयाल।
17 अशोक कुमार पुत्र प्रभुदयाल।
18 रामावतार पुत्र प्रभुदयाल।
19 दोलतराम पुत्र रामदेव।
20 रामेश्वरलाल पुत्र दुलारा।
21 जयनारायण पुत्र दुलाराम निवासीगण मालनगर (कुरबड़ा) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भूपसिंह पुत्र चुन्नीलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 रमेश पुत्र चुन्नीलाल।
3 कैलाश पुत्र चुन्नीलाल समस्त जाति यादव निवासीगण भूदोली रोड़ नीमकाथाना जिला सीकर।
4 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
5 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 19.07.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़ आर.ए.एस. प्रार्थना पत्र संख्या 355/2016 (250/2012) अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी भूपसिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—20.10.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 355/2016 (250/2012) में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2404 के वर्तमान खसरा नम्बर 706 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 3.18 हैक्टेयर वाके ग्राम हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की भूमि में आवागमन का 30 फिट चौड़ा रास्ता, उत्तर से दक्षिण लम्बाई में पुराना खसरा नम्बर 2406 की सीमा पार पहुंचना बताकर उक्त खसरा नम्बर 2406 में से होते हुए खसरा नम्बर 2404 तक जाने के लिए रास्ता अस्तित्व में रहते हुए मौके पर चालू बताया तथा उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2404 में आने जाने के लिए एवं कृषि कार्य हेतु खसरा नम्बर 2407 में पश्चिमी सींव से होता हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि खसरा नम्बर 2406 में पश्चिम से पूर्व की ओर जाकर खसरा नम्बर 2404 की खातेदारी तक जाना बताकर उक्त वर्णित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने व रास्ता मौके पर कायम रहने के अनुतोष चाहा हे। जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व रिकार्डेड खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना दिनांक 11.08.2015 को निर्णय पारित कर दिया था। जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष किता 2 अपील संख्या 03/2016 व अपील संख्या 05/2016 प्रस्तुत की थी जिसे दिनांक 03.06.2016 को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 11.08.2015 को पारित विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपना निर्णय पुन पारित करने का निर्देश दिया था। जिस कारण विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.07.2016 को पत्रावली पुन दर्ज हुई। जिसमें तहसीलदार से नियम 69 के तहत रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट अपूर्ण होने के कारण दिनांक 14.11.2017 को दोनों पक्षो की मौजुदगी में रिपोर्ट तैयार करने का विचारण न्यायालय ने आदेश पारित कर नायब तहसीलदार नीमकाथाना को मौका कमिश्नर नियुक्त किया। तत्पश्चात दिनांक 07.05.2018 को पुनः आदेश पारित कर नायब तहसीलदार नीमकाथाना के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थान पर गिरदावर हल्का नीमकाथाना को मौका रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया। जिसमें आदेश दिया कि न्यूनतम दूरी एवं क्या रास्ता आवश्यक है एवं कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नही है तीनों बिन्दुओं को मध्य नजर रखते हुए रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेशित किया परन्तु गिरदावर हल्का की रिपोर्ट नही आयी उससे पूर्व ही दिनांक 18.05.2018 को तहसीलदार नीमकाथाना ने दिनांक 28.11.2017 के कम में पूर्व की रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार करके प्रेषित कर दी। जिसके साथ हल्का पटवारी गोड़ावास द्वारा वर्ष 2016 में बनाया गया गलत नजरी नक्शा की प्रति संलग्न कर दी। जिस पर अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की थी परन्तु विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.07.2018 को अपीलांट के आपत्ति आवेदन को बिना किसी उचित आधार के खारिज करते हुए धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को बिना बहस सुने ही आपत्ति आवेदन खारिज करने के साथ ही निर्णित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 03/2016 व 05/2016 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 से प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.07.2016 को पत्रावली पुन दर्ज हुई। जिसमें तहसीलदार से नियम 69 के तहत रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट अपूर्ण होने के कारण दिनांक 14.11.2017 को दोनों पक्षो की मौजुदगी में रिपोर्ट तैयार करने का विचारण न्यायालय ने आदेश पारित कर नायब तहसीलदार नीमकाथाना को मौका कमिश्नर नियुक्त किया। तत्पश्चात दिनांक 07.05.2018 को पुनः आदेश पारित कर नायब तहसीलदार नीमकाथाना के स्थान पर गिरदावर हल्का नीमकाथाना को मौका रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया। जिसमें आदेश दिया कि न्यूनतम दूरी एवं क्या रास्ता आवश्यक है एवं कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नही है तीनों बिन्दुओं को मध्य नजर रखते हुए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेशित किया परन्तु गिरदावर हल्का की रिपोर्ट नही आयी उससे पूर्व ही दिनांक 18.05.2018 को तहसीलदार नीमकाथाना ने दिनांक 28.11.2017 के कम में पूर्व की रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार करके प्रेषित कर दी। जिसके साथ हल्का पटवारी गोड़ावास द्वारा वर्ष 2016 में बनाया गया गलत नजरी नक्शा की प्रति संलग्न कर दी। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपील न्यायालय के निर्देशों की पालना किये बिना सरसरी तौर पर पुनः विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की थी परन्तु विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.07.2018 को अपीलांट के आपत्ति आवेदन को बिना किसी उचित आधार अंकन किये खारिज करते हुए धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को आपत्ति आवेदन खारिज करने के साथ ही निर्णित कर दिया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(1) पेज 40, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 423, आर. आर.टी. 2019(2) पेज 1543, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 649, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 440 आर.आर.डी. 2020 पेज 365 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना से दिनांक 13.10.2017 को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी इसके उपरान्त दिनांक 14.11.2017 को तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट अपूर्ण होने पर नायब तहसीलदार नीमकाथाना से पुनःरिपोर्ट मंगवाई गई है। दिनांक 07.05.2018 को विचारण न्यायालय द्वारा पुन गिरदावर हल्का से रिपोर्ट मांगी गई है दिनांक 21.05.2018 को विचारण न्यायालय में तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 01.06.2018 को अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की गई है। इसके उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 03/2016 व 05/2016 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 से प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.07.2016 को पत्रावली पुन दर्ज हुई। जिसमें तहसीलदार से नियम 69 के तहत रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट अपूर्ण होने के कारण दिनांक 14.11.2017 को दोनों पक्षो की मौजुदगी में रिपोर्ट तैयार करने का विचारण न्यायालय ने आदेश पारित कर नायब तहसीलदार नीमकाथाना को मौका कमिश्नर नियुक्त किया। तत्पश्चात दिनांक 07.05.2018 को पुनः आदेश पारित कर नायब तहसीलदार नीमकाथाना के स्थान पर गिरदावर हल्का नीमकाथाना को मौका रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया। जिसमें आदेश दिया कि न्यूनतम दूरी एवं क्या रास्ता आवश्यक है एवं कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नही है तीनों बिन्दुओं को मध्य नजर रखते हुए रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेशित किया परन्तु गिरदावर हल्का की रिपोर्ट नही आयी उससे पूर्व ही दिनांक 18.05.2018 को तहसीलदार नीमकाथाना ने दिनांक 28.11.2017 के क्रम में पूर्व की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके प्रेषित कर दी जिसके साथ हल्का पटवारी गोड़ावास द्वारा वर्ष 2016 में बनाया गया नजरी नक्शा की प्रति संलग्न कर दी। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपील न्यायालय के निर्देशों की पालना किये बिना सरसरी तौर पर पुनः विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की थी परन्तु विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.07.2018 को अपीलांट के आपत्ति आवेदन को बिना किसी उचित आधार अंकन किये खारिज करते हुए धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रार्थना पत्र को आपत्ति आवेदन खारिज करने के साथ ही निर्णित कर दिया। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को केवल आपत्ति पर सुना गया था सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र पर बहस सुने बिना ही अन्तिम निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 में दिये गये निर्देशों की पालना कर पुन गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.10.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर